

आदेश

श्री सोनू पुत्र श्री रामधन, पंच, ग्राम पंचायत खिडवाली, वार्ड नं० 17, खण्ड व जिला रोहतक द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 31.03.2025 जो उपायुक्त, रोहतक के सिफारिश पत्र क्रमांक 4412 दिनांक 19.08.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

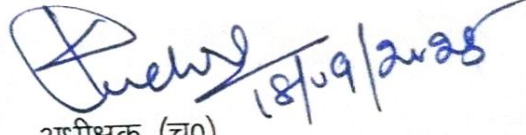
चण्डीगढ़, दिनांक
17.09.2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०२-2025/ 48524-30 दिनांक : 19/9/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, रोहतक के सिफारिश पत्र क्रमांक 4412 दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।
5. संरपच, ग्राम पंचायत खिडवाली, खण्ड व जिला रोहतक।
6. श्री सोनू पुत्र श्री रामधन, निवासी गांव खिडवाली, तहसील व जिला रोहतक।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।


अधीक्षक (चु०)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Govind/Mohit